



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082025-265763  
CG-DL-E-28082025-265763

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2025/भाद्र 5, 1947

No. 539]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2025/BHADRA 5, 1947

## श्रम एवं रोजगार मंत्रालय रोजगार महानिदेशालय अधिसूचना नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

**सा.का.नि.583(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (समूह “ख” अराजपत्रित पद) भर्ती नियम 1996 को, जहां तक उनका संबंध कर्मशाला इंजीनियर के पद से है और व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (समूह “ग” और समूह “घ” पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उनका संबंध कर्मशाला फोरमैन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, के अधीन दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय सेवा केंद्र के कार्यालयों में कर्मशाला पर्यवेक्षक, समूह “ख” (अराजपत्रित) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**
  - इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय सेवा केंद्र, कर्मशाला पर्यवेक्षक (समूह “ख” अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2025 है।
  - ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि:-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता - वह व्यक्ति-**
  - जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या (2025)	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कर्मशाला पर्यवेक्षक	*20 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7: (44,900-1,42,400 रु.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	100% प्रोन्नति द्वारा।	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/- रुपए) में ऐसे व्यावसायिक अनुदेशक जिन्होंने दिव्यांगजन के लिए किसी राष्ट्रीय व्यवसाय सेवा केंद्र में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और राष्ट्रीय व्यवसाय सेवा संस्थान, नोएडा, रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से कर्मशाला पर्यवेक्षक के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के सुसंगत क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।  <b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. देशक (रोजगार), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय - अध्यक्ष  2. उप सचिव (प्रशासन), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य  3. अवर सचिव, रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य  4. उप या सहायक निदेशक	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

		या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(रोजगार), रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य	
--	--	--	---	--

[फा.सं. डीजीई-ए-12018/1/2020-ईई-॥ भाग (2)]

अंजलि रावत, उप महानिदेशक (रोजगार)

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****(Directorate General of Employment)****NOTIFICATION**

New Delhi, dated the 1st August, 2025

**G.S.R. 583(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Vocational Rehabilitation Centres (Group 'B' Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the post of Workshop Engineer and the Vocational Rehabilitation Centres (Group C and D posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Workshop Foreman, except as respects for things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Workshop Supervisor, Group 'B' (Non-Gazetted) in the offices of National Career Service Centre for Differently Abled under the Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, namely: -

- Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the National Career Service Centre for Differently Abled, Workshop Supervisor (Group 'B' Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.** – No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of post.	Number of post. (2025)	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Workshop Supervisor.	20* * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group, B Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level-7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	100% by promotion.	<p><b>Promotion:</b> Vocational Instructor in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in any National Career Service Centre for Differently Abled and have successfully completed two weeks training in the relevant field of duties and responsibilities of Workshop Supervisor from the National Institute for Career Services, NOIDA, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment or any other Institute recognised by Government of India.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</p> <p>1. Director (Employment), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – <b>Chairperson;</b></p> <p>2. Deputy Secretary (Administration), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – <b>Member.</b></p>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

		<p>their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>3. Under Secretary, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – <b>Member.</b></p> <p>4. Deputy or Assistant Director (Employment), Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment – <b>Member.</b></p>	
--	--	--	---	--

[F. No. DGE-A-12018/1/2020-EE-II-Part (2)]  
 ANJALI RAWAT, Dy. Dir. General (Employment)